संख्या: 7/2019/ 841/12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2019

विषय: निजी नलकूपों को अत्यधिक कम दर पर की गयी आपूर्ति के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2374/2018-19 दिनांक 13 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किसानों के निजी नलकूपों को अत्यधिक कम दर पर की गयी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में रूपये 110000.00 लाख (रूपये ग्यारह अरब मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा। शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद में धनराशि स्वीकृत की गयी हो।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय बेवसाइट पर डाली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशों/प्रावधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रपत्र बी0एम0-9 में बतायी गयी बचतों के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

9. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या: ई-1-294/दस/ 2019 दिनांक 15 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 7/2019/841(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अति ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेाक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभगा-1 को बी0एम0-9 की 03 प्रतियों सहित।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iufofu;kx d fy, vkonu@Loh dfr

¼lnHk% ctV euvy dk iLrj&158½

vunku l[;k o uke% 11 df"k rFkk vU; lEc) foHkkx¼df"k½ foRrh; o"k 2018&19 ii= ch0,e0&09 ¼Hkkx&1½ ¼/kujkf'k yk[k :0 e½

fuEufyf[kr fuf/k;k l iLrkfor lde.k				foRr foHkkx }kjk Hkjk tk	
y[kk 'kh"kd ¼15 fMftV dkM e½	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k vunku@fofu;kx	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k cpr	ldfer dh tku okyh /kujkf'k	foRr foHkkx }kjk lde.k gr vueknu /kujkf'k	lde.k d
1	2	3	4	5	
vunku l[;k&11 y[kk'kh"kd 2401&Qly df"k de@ 115&NkV@ mikUrd fdlkuk rFkk df"k Je dh ;ktuk 03&y?k rFkk lhekUr d"kdk d Qlyh _.k dk Hkxrku y[kk'kh"kd 2401001150300					
20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	315428.79	113312.38	110000.00	110000.00	
;kx	315428.79	113312.38	110000.00	110000.00	

fuEufyf[kr fuf/k;k d fy, iLrkfor lde.k				foRr foHkkx }kjk Hkjk tk;xk	
y[kk'kh"kd ¼15 fMftV dkM e½ 2401001020005	foRrh; o"k d fy, ikfo/kku@ fofu;kx	foRrh; o"k e iR;kf'kr dy iLrkfor /kujkf'k¼9&8½	lde.k gr	foRr foHkkx }kjk lde.k gr vueknu /kujkf'k	lde.k d i'pkr fofu;kx ¼8+11½
7	8	9	10	11	12
vunku l[;k&11					
2401&Qly df"k de& 102&[kk|kUuk dh Qly &05&df"k mRiknu e of) d fy, d"kdk d futh uydik dk fo|r vkifr gr mRrj in'k fo|r fuxe dk vunku					
27&lfdlMh	60000-00	170000-00	110000-00	110000-00	17000
;kx%	60000-00	170000-00	110000-00	110000-00	17000

¼:0 X;kjg vjc ek=½

1& LrHk&3 e miyC/k /kujkf'k dh mDr en e 0;; lEHko u gku d dkj.k cpr gk jgh gA
v& miyC/k /kujkf'k dh mDr en e 0;; lEHko u gku d dkj.k cpr
2& LrEHk&8 e mfYyf[kr miyC/k vunku d lki{k LrEHk&9 e vfdr vf/kd 0;; fuEufyf[kr dkj.kk l g%&
c& fdlkuk d futh uydik dk vR;kf/kd de nj ij dh xb fo|r vkifr d lki{k mRrj in'k ikoj dkjikj'ku dk ,d e'r vfxe vkgj.k dj Hkxrku dju grA
3& iekf.kr fd;k tkrk g fd mi;Dr iufofu;kx e mRrj in'k ctV euvy d iLrj&150 o 151 e fufn"V ifrc/kk@ifjlhekvk dk mYy?ku ugh gkrk gA

l[;k% vkjb 639@b& @nl&2019

fnukd 15 ekp] 2019

gLrk{kj%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
gLrk{kj&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

uke o inuke% mek dkUr ikBd] l;Dr lfpoA uke o inuke
¼uhy'k dekj flg½] mi lfpo]
i'kkldh; foHkkx& df"k foHkkx
foRr foHkkxA

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:6/2019/784/12-2-2019-60(3)/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2019

विषय: भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2019-20 व आगामी वर्षों के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: एस.2633/सी-32/फ0बी0/2018-19 दिनांक 08 जनवरी, 2019, पत्र संख्या: एस-कैम्प.841/सी-32/फ0बी0/2018-19 दिनांक 10 जनवरी, 2019 तथा पत्र संख्या: एस-मेमों/सी-32/फ0बी0/2018-19 दिनांक 18 जनवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019-20 व आगामी वर्षों के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार प्रदेश में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं में बीमित की जाने वाली फसल का चयन, जनपद का चयन, बीमित राशि, प्रीमियम दर, बीमा की इकाई, इन्डेम्निटी स्तर, निविदा की शर्तों आदि के संबंध में निर्णय लेते हुए फसल बीमा योजनाओं को प्रदेश में संचालित कराया जाता है। वर्ष 2019-20 व आगामी वर्षों के खरीफ तथा रबी मौसम में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में संचालित कराया जाएगा।

(2)भारत सरकार के पत्र संख्या 13015/03/2016 – केडिट-2 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए है। इस क्रम में वर्ष 2019-20 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को बैठक की गयी,

जिसमें इन योजनाओं के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों व फसलों के चयन, बीमित राशि, बीमा की इकाई, इन्डेम्निटी स्तर, निविदा की शर्तों आदि के संबंध में निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ मौसम में फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर एवं रबी मौसम में फसल- गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही-सरसों व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को चयनित जनपदों में फसल बाहुल्य क्षेत्रों में कुल 07 औद्यानिकी फसलों को बीमित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 14 जनपदों- कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कौशाम्बी, देवरिया, फतेहपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, लखीमपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खीरी, गोंडा, सीतापुर व महराजगंज में फसल केला, 07 जनपदों- उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, ललितपुर, हरदोई व लखनऊ में फसल पान, 18 जनपदों- बाराबंकी, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, कौशाम्बी, वाराणसी, बदायूँ, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहॉपुर, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, रायबरेली, आजमगढ, गाजीपुर, बलिया में फसल मिर्च, 15 जनपदों- आगरा, बाराबंकी, एटा, अयोध्या, कानपुर नगर, मैनपुरी, उन्नाव, सीतापुर, गाजीपुर, आजमगढ, मिर्जापुर, अम्बेडकरनगर, सोनभद्र, फिरोजाबाद, बलिया में फसल टमाटर, 04 जनपदों- फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली में शिमला मिर्च, 16 जनपदों- बाराबंकी, बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर, एटा, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, बहराइच, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया, कासगंज में फसल हरी मटर, 13 जनपदों- सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ, वाराणसी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ में फसल आम को फसल बाहुल्य ब्लाकों में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर वर्ष 2019-20 में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किया जाएगा।

(3) <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:-</u>

(i) प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा आच्छादन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) व्यापक आपदाओं से खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति के जोखिमों को कवर किया गया है, जिसमें फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अंत में ग्राम पंचायत में प्रत्येक अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाएगा। क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों से किसी प्रकार का व्यक्तिगत दावा आवश्यक नहीं है। योजना के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर क्षतिपूर्ति की धनराशि को सीधे कृषक के बैंक खाते में बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जाएगा।

फसल बुआई के पश्चात् से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में फसल की अनुमानित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की सम्भावित स्थिति में बीमित फसलों के उत्पादक कृषकों को तात्कालिक सहायता (सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक) प्रदान की जाएगी, जिसे मौसम के अंत में ग्राम पंचायत में प्रत्येक अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर देय कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाएगा।

जब व्यापक आपदाओं के कारण ग्राम पंचायत में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बीमित फसलों की बुवाई न कर पाने/ असफल बुवाई की स्थिति होती है, उस स्थिति में ग्राम पंचायत में प्रभावित फसलों के उत्पादक सभी कृषकों को बीमित राशि के 25 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्षतिपूर्ति का प्राथमिकता पर भुगतान कर दिया जाएगा एवं प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित कृषकों का आगे बीमा आच्छादन समाप्त माना जाएगा।

(iii) स्थानिक आपदाओं यथा ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से खडी फसलों को क्षति की स्थिति अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में बीमित फसलों के उत्पादक आपदा प्रभावित कृषकों की क्षति का व्यक्तिगत आधार पर आंकलन किया जाएगा एवं आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार खडी फसलों को स्थानिक आपदाओं अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति के कारण ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित होने की स्थिति में क्षति का आंकलन जनपद के कृषि विभाग, राजस्व विभाग व बीमा कम्पनी के अधिकारी की संयुक्त कमेटी द्वारा रैण्डम आधार पर किया जायेगा एवं उसके आधार पर क्षतिपूर्ति उन सभी बीमित कृषकों को दी जायेगी, जिन्होने निर्धारित समयावधि में व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत किया है।

व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रभावित प्रत्येक बीमित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अंदर स्वयं/ अपने बैंक/बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर/ जनपद के कृषि/राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी के माध्यम से बीमा कम्पनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंक/जनपद के कृषि/ राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा कृषकों के प्राप्त व्यक्तिगत दावे को अगले 48 घण्टें के अन्दर बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

व्यक्तिगत आधार पर भुगतान की गई आंशिक क्षतिपूर्ति की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर देय कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाएगा।

(iv) अधिसूचित फसल के उत्पादक ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर अन्य सभी कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित किए जाएगें।

(v) खाद्य फसलें (अनाज , कदन्न प दलहन), तिलहन , वार्षिक नगदी व औद्यानिकी फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल (अद्यतन स्थिति तक) उपलब्ध होने पर अधिसूचित किया जाएगा।

(vi) जनपद स्तर पर फसल के उत्पादन लागत के अनुरूप बीमित राशि का निर्धारण किया जाएगा।

(vii) सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जाएगा।

(viii) खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दलहन) व तिलहन हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को खरीफ मौसम में बीमित राशि के दो प्रतिशत तथा रबी फसलों में बीमित राशि के डेढ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाएगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/ वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पाँच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जाएगा।

(ix) कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

(x) थ्रेशोल्ड उपज (गारण्टीड उपज) का आंकलन पिछले 07 वर्षो की औसत उत्पादकता में से 05 सर्वाधिक उत्पादकता वाले वर्षो का चयन करते हुए उनकी औसत उत्पादकता में निर्धारित इण्डेम्निटी स्तर (प्रतिशत में) से गुणा करने के पश्चात निर्धारित किया जायेगा।

5- <u>पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:-</u>

(i) प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा आच्छादन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।

(iii) सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

(iv) कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(v) फसलों की क्षति का आंकलन फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में फसल की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मौसमीय स्थितियों एवं बीमा इकाई क्षेत्र में मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

(vi) योजना में फसलों की क्षति का आंकलन जनपद में अधिसूचित ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जाएगा। जनपद में मौसम की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से बीमा इकाई स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए जाएगें। मौसम केन्द्र पर मौसम के प्रतिदिन के उपलब्ध आंकडों के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति का आंकलन किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कृषक के बैंक खाते में बीमा कम्पनी द्वारा जमा किया जाएगा। क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को किसी प्रकार का व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

6- प्राधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के कार्यक्षेत्र के निर्धारण हेतु प्रदेश के सभी 75 जनपदों में से कम, मध्यम व अधिक जोखिम क्षेत्रों के जनपदों को सम्मिलित करते हुए कई समूह बनाए जाएगें, जिसमें सम्मिलित जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित सभी फसलों के वास्तविक प्रीमियम दर का प्रस्ताव ई-निविदा के माध्यम से भारत सरकार की सभी पैनलबद्ध बीमा कम्पनियों से आमंत्रित किया जाएगा एवं समूह स्तर पर न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम के आधार पर बीमा कम्पनी के कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा।

7- वर्ष 2019-20 व आगामी वर्षो में प्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रभावी संचालन एवं समय से क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने हेतु इन योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिसमें बीमा कम्पनी के किसी कृत्य से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अथवा कृषक को योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिाति बनती है, तो उन स्थितियों में संबंधित बीमा कम्पनी के विरूद्ध आर्थिक अर्थ दण्ड लगाए जाने का प्राविधान किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक पर दिया गया है।

8- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा- निर्देशों एवं संचालन हेतु समय-समय पर किए गए संशोधन तथा योजना के प्रदेश में संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषकों वा राज्य के हित में आवश्यक संशोधन के संबंध में निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

9- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय- व्ययक में 110-फसल बीमा, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (के050/रा050) के 27- सब्सिडी मानक मद में धनराशि रूपये 450 करोड का प्राविधान कराते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की देयता का भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में अधिकृत बीमा कम्पनियों को सुनिश्चित कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उपरोक्तानुसार प्रस्तावित बजट तथा आगामी वर्षो में योजना के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बजट का प्राविधान कराते हुए योजना का संचालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

10- उद्यान विभाग द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में फसलों व क्षेत्रों में की गयी वृद्धि के कारण प्रीमियम पर राज्य अनुदान की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त देयता की धनराशि का आंकलन करते हुए आवश्यक बजटीय व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सूचना/विवरण कृषि विभाग को समय से उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पश्चात् आगामी वर्षो में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाय अथवा उद्यान विभाग द्वारा किया जाय, के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

संख्या: 6/2019/784 (1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

बीमा कम्पनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपने कार्य क्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता से कार्यवाही नहीं किए जाने की विभिन्न स्थितियों में वर्ष 2019-20 व आगामी वर्षो के संबंधित खरीफ तथा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइंट एवं आर्थिक दण्ड का निर्धारण

क्र0सं0	प्रकरण	परिस्थितियॉ, जब आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जायेगा	दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइंट	
1	L1 बीमा कम्पनी द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से मना करना।	बीमा कम्पनी द्वारा L1 घोषित होने अथवा कार्य आदेश (work order) जारी होने के पश्चात कार्य करने से मना करना।	एक समूह के जनपदों में कार्य करने से मना करने पर	05 प्वाइंट
			दोनों समूहों के जनपदों में कार्य करने से मना करने पर	15 प्वाइंट
			निर्धारित दण्ड प्वाइंट के साथ ही राज्य सरकार को पुन: निविदा आमंत्रित करने तथा पूर्व घोषित L1 के स्थान पर पुन: निविदा में	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			निर्धारित L1 के कारण प्रीमियम पर अनुदान मद में हुई अतिरिक्त वित्तीय हानि की वसूली भी संबंधित बीमा कम्पनी से की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड के साथ ही प्रदेश में योजनान्तर्गत आगामी निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने/ भविष्य के लिए काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।	
2	बीमा कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में गम्भीरता से प्रतिभाग नहीं करने पर।	समूह स्तर पर चयनित बीमा कम्पनी के L1 प्रीमियम दर से अन्य बीमा कम्पनियों के समूह स्तर पर प्रस्तावित प्रीमियम दर में विचलन की स्थिति।	1. 25 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत तक विचलन की स्थिति 2. 50 प्रतिशत से अधिक विचलन की स्थिति	10 प्वाइंट 20 प्वाइंट
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों के आधार तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में मौसम के आंकडों के आधार पर कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य सरकार से उपज के आंकडे प्राप्त होने के 21 दिन के पश्चात तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में बीमा अवधि की समाप्ति के 21 दिन के पश्चात क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर	क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रतिशत में, जो 21 दिन के पश्चात अवशेष है- 1. 10 प्रतिशत से कम अवशेष रहने पर 2. 10 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम अवशेष रहने पर 3. 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत से कम अवशेष रहने पर 4. 75 प्रतिशत से अधिक अवशेष रहने पर	 01 प्वाइंट* 05 प्वाइंट* 10 प्वाइंट* 15 प्वाइंट*
			*बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में कृषकों को देय धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड ब्याज वहन करते हुए कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।	
4	• जनपद में बीमा कम्पनी के कार्यालय की स्थापना व	राज्य सरकार द्वारा निविदा के पश्चात बीमा कम्पनी को जारी किए गए कार्य आदेश (work order) की तिथि के 30 कार्य दिवस के पश्चात कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की	1.1 कार्य आदेश जारी होने की तिथि के 30 कार्य दिवस के पश्चात जनपदीय कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति करने पर	05 प्वाइंट

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्मिकों की नियुक्ति • जनपद की प्रत्येक तहसील में क्रियाशील कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति • प्रत्येक ब्लाक में बीमा कम्पनी के कम से कम एक प्रतिनिधि की नियुक्ति	नियुक्ति	1.2 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात जनपदीय कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने पर	15 प्वाइंट
			1.3 कार्य आदेश जारी होने की तिथि 30 कार्य दिवस के पश्चात तहसील पर कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति पर	05 प्वाइंट
			1.4 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात तहसील पर कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने पर	15 प्वाइंट
5	बीमा कम्पनी द्वारा प्रचार सामग्री-ब्रोशर/पैम्फलेट का मुद्रण	विगत मौसम में बीमित कृषकों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम संख्या में मुद्रण	1. अपेक्षित संख्या के 25 प्रतिशत की संख्या से अधिक व 50 प्रतिशत की संख्या तक मुद्रण। 2. अपेक्षित संख्या के 25 प्रतिशत की संख्या से कम मुद्रण	02 प्वाइंट 05 प्वाइंट
6	बीमा कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण व वर्कशाप का आयोजन	बैंक व संबंधित विभागों के अधिकारी को पोर्टल पर विवरण अपलोड करने, फसल कटाई प्रयोगों के आंकडों के प्रेषण हेतु पोर्टल पर पंजीकरण तथा योजना के संबंध् में जनपद में कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्कशाप का आयोजन तथा जनपद के प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 05 कैम्पों का आयोजन करते हुए कृषकों में जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाने पर	जनपद में कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्कशाप का आयोजन नहीं करने पर। जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 05 कैम्पों से कम आयोजित करना। जनपद के प्रत्येक ब्लाक में 02 कैम्पों से कम आयोजित करना।	10 प्वाइंट 02 प्वाइंट 05 प्वाइंट
7	फसल कटाई प्रयोगों का कटाई स्तर पर बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा अवलोकन	बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्मिक द्वारा कटाई स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों का अवलोकन नहीं करने पर	नियोजित कुल फसल कटाई प्रयोगों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक व 30 प्रतिशत से कम प्रयोगों का अवलोकन करने पर 20 प्रतिशत से कम प्रयोगों का अवलोकन करने पर	10 प्वाइंट 15 प्वाइंट

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत-: • प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुआई न कर पानाअसफल / बुआई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान • स्थानिक आपदाओं- ,लनभूस्ख ,ओला बादल ,भराव-जल फटना वआकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षतिपूर्ति का भुगतान • फसल कटाई के उपरान्त आगामी दिनों की अवधि 14 तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को बेमौसम चक्रवाती/ ,चक्रवात ,वर्षा ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान • फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसल की सम्भावित उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत कम होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का	उल्लिखित जोखिमों हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने पर	25 प्रतिशत से कम क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर 25 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम भुगतान करने पर 50 प्रतिशत से अधिक एवं शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने पर	05 प्वाइंट 03 प्वाइंट 02 प्वाइंट

http://shasanadesh.up.nic.in

	तभुगान			

<u>आर्थिक दण्ड</u>:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधरित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्य-क्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता पर कार्यवाही नहीं किए जाने की विभिन्न स्थितियों में वर्ष 2019-20 व आगामी वर्षो के संबंधित खरीफ तथा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइंट के आधार पर आर्थिक दण्ड की निर्धारित धनराशि का विवरण

क्र0सं0	मौसमवार बीमा कम्पनी के कुल दण्ड के प्वाइंट का योग	मौसमवार बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जाने वाली आर्थिक दण्ड की धनराशि
1	दण्ड प्वाइंट का योग 21 प्वांइट से अधिक व 31 प्वाइंट से कम होने पर	मौसम विशेष में संबंधित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.00 प्रतिशत।
2	दण्ड प्वाइंट का योग 31 प्वाइंट से अधिक एवं 41 प्वाइंट से कम होने पर	मौसम विशेष में संबधित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 2.00 प्रतिशत।
3	दण्ड प्वांइट का योग 41 प्वांइट से अधिक एवं 51 प्वांइट से कम होने पर	मौसम विशेष में संबंधित जनपदा/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 3.00 प्रतिशत।
4	दण्ड प्वांइट का योग 51 प्वांइट से अधिक एवं 61 प्वांइट से कम होने पर	मौसम विशेष में संबंधित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 5.00 प्रतिशत।
5	दण्ड प्वांइट का योग 61 प्वांइट से अधिक एवं 71 प्वांइट से कम होने पर	मौसम विशेष में संबंधित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 7.00 प्रतिशत के साथ ही अगले मौसम में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से रोके जाने की कार्यवाही
6	दण्ड प्वांइट का योग 71 प्वांइट से अधिक होने पर	मौसम विशेष में संबंधित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 10.00 प्रतिशत के साथ ही अगले वर्ष में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करने से रोके जाने की कार्यवाही
7	आर्थिक दण्ड के निर्धारण से संबंधित उपरोक्त सूचनाओं को बीमा कम्पनी द्वारा गलत रूप में देने पर	राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बीमा कम्पनी के विरूद्ध जांच की जायेगी एवं पुष्टि होने पर बीमा कम्पनी को प्रदेश में योजनान्तर्गत फसल बीमा के कार्य से बाहर रखने/भारत सरकार की पैनल बद्ध कम्पनियों से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में प्रत्येक मौसम में कुल कृषकों की संख्या के 05 प्रतिशत कृषकों की संख्या को गैर ऋणी कृषकों के रूप में कवरेज प्रदान नहीं किए जाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड:

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में प्रत्येक मौसम में कुल कृषकों की संख्या के 05 प्रतिशत कृषकों की संख्या को गैर ऋणी कृषकों के रूप में कवरेज नहीं किए जाने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा जनपद व मौसम विशेष में योजनान्तर्गत कुल प्रीमियम के 1.00 प्रतिशत धनराशि को आर्थिक दण्ड के रूप में देय होगा। आर्थिक दण्ड के रूप में बीमा कम्पनी से वसूली की धनराशि को भारत सरकार स्तर पर बनाये गये टैक्नोलॉजी फण्ड में एग्रीकल्चर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से जमा किया जायेगा किन्तु कृषकों को समय से क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने पर बीमा कम्पनी से वसूले गये समस्त आर्थिक दण्ड को संबंधित कृषकों को अग्रसारित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।